कार्यालय वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी

(वन भवन, एच0आई0जी0-33,अशोक विहार कालोनी फेज-1 पहड़िया वाराणसी-221007
E-Mail-cfvaranasi2@yahoo.com, cfva-up@nic.in दूरभाष-0542-2585444

पत्रांक- 1854 /29-1 दिनांकः वाराणसीः दिसम्बर, 22 ,2017

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
17 राणा प्रताप मार्ग,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय:- लखनऊ से गाजीपुर (वाया आजमगढ) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ, मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 है0 आरक्षित वन भूमि एवं 8.4165 है0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 17.5714 है0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 27942 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः- आपका पत्रांक 1648/11-सी- FP/UP/रोड/28804/2017 दि0-20.12.2017,उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 का पत्रांक पी-154/14-2-2017-800 (143)/2017 दिनांक 18.12.2017 तथा अधिकृत अधिकारी/उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखलऊ का पत्रांक 3123/यूपीडा /619 दि0-21.12.2017।

महोदय,

उक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में आने वाली वन भूमि के भू-स्वमित्व वाले विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगे गये है। इस सम्बन्ध में अधिकृत अधिकारी/उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखलऊ ने उक्त संदर्भित पत्र द्वारा सूचित किया है कि उनके द्वारा भू-स्वमित्व वाले विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है तथा एक्सप्रेसवे के निर्माण के पूर्व वह प्रश्नगत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे। इस आशय की मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ की वचनबद्धता पूर्व प्रेषित भू-हस्तांतरण प्रस्ताव के साथ संलग्न की गयी है।

अतः अधिकृत अधिकारी/उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखलऊ के संदर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ की वचनबद्धता के आधार पर प्रश्नगत भू-हस्तांतरण सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(के0के0पाण्डे)
वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी

पत्रांक-1854/(1) उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिकृत अधिकारी/उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ
2. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर।

(के0के0पाण्डे)
वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी

Scanned by CamScanner

यूपीडा

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
☎ 0522–2301142 / 2301492 / 4108184, फैक्स: 0522–2301142,
ईमेल.upeidapdf@gmail.com

पत्रांक– 3123 /यूपीडा/619 दिनांक: 21, दिसम्बर, 2017

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
17 राण प्रताप मार्ग,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– लखनऊ से गाजीपुर (बाया आजमगढ़) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 8.4165 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 17.5714 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 27942 वृक्षों / पौधों के पालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक 1648 / 11 – सी – FP / UP / रोड / 28804 / 2017 दिनांक 20.12.2017 तथा उ0प्र0 शासन वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 का पत्रांक पी–154 / 14–2–2017–800 (143) / 2017 दिनांक 18.12.2017

महोदय,

उक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में विभिन्न जनपदों में प्रभावित कुल 17.5714 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि के भू–स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया है। इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि भू–स्वामित्व वाले विभागो से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है तथा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामित्व वाले विभागो से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत कर दिया जायेगा। इस आशय की मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा की वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त वचनबद्धता के आधार पर भू–हस्तांतरण सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध मे अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।

भवदीय

(विश्वजीत राय)
अधिकृत अधिकारी /
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं वन्यजीव, अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3. वन संरक्षक, फैजाबाद, आजमगढ़ एवं वाराणसी।
4. प्रभागीय निदेशक / वनाधिकारी, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ, मऊ एवं गाजीपुर।